

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।

1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2- जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य :- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा माँगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों (लखनऊ, खीरी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई व उन्नाव) को अन्तरित किया जाना।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियाँ/कार्य:- अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना को जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक प्रकरणों से जनसूचना अधिकारी परिक्षेत्र कार्यालय को नियत समय से पूर्व अवगत व प्रस्तुत करना।

3- प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना व सूचनायें प्राप्त होने पर सूचना सम्बन्धित को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना व करवाना।

4- विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाएं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त करना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होता है।

5- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

6- दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-

- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- शासन/अन्य से प्राप्त पत्र।
- अपीलीय प्रार्थना पत्र।

7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9- सूचना का अधिकार अधि0-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।


10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

- 12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
- 14- संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण-
- 15- इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना-उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जायेगा।
- 16- लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम- पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री ओम प्रकाश मिश्र	स०उ०नि०लिपिक/ जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा माँगी गई सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों (लखनऊ, खीरी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई व उन्नाव) को अन्तरित किया जाना।
2	श्रीमती प्रसून यादव	सहायक लिपिक-06 /सहायक जनसूचना अधिकारी	1-जनसूचना अधिकारी को अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना एवं व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा माँगी गई सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित करने में जनसूचना अधिकारी का सहयोग करना। 2-समस्त अभिलेखों का रख-रखाव करना आलेख प्रस्तुत करना व अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यावधिक करना।

- 17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही कराई जाती है।


(ओम प्रकाश मिश्र)
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक,
लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।

संख्या:कोल-एसी-06-ज०सू०अ०/2018

दिनांक:लखनऊ, मार्च 29, 2019